1

[2020] 4 एस.सी.आर. 146

भारत संघ एवं अन्य

बनाम

आर त्यागराजन

(सिविल अपील संख्या 2229 सन् 2020) अप्रैल 03, 2020

[दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून - प्रतिनियुक्ति - प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए दावा - प्रतिवादी वर्ष 1999 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में कार्यरत था - अपीलकर्ता-भारत संघ ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का गठन किया - आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) नियम, 2008 11.09.2009 से लागू किए गए थे- नियमों के लागू होने के बाद, सीआईएसएफ सहित विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को एनडीआरएफ में भेज दिया गया और एनडीआरएफ बटालियन के रूप में फिर से नाम दिया गया और 11.09.2009 से उनका नियंत्रण एनडीआरएफ के पास आ गया और बटालियनों ने 11.09.2009 से अपना वेतन और भत्ते प्राप्त किए। एनडीआरएफ से - 18.4.2008 को एनडीआरएफ में भेजे गए प्रतिवादी का कार्यकाल 07.10.2011 को समाप्त हो गया, जब उसे एनडीआरएफ में अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया और सीआईएसएफ में वापस भेज दिया गया - प्रतिवादी ने प्रतिनियुक्ति भत्ता देने की मांग की और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने न केवल प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया, बल्कि विशेष भत्ता भी दिया - उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि प्रतिवादी केवल प्रतिनियुक्ति भत्ते का हकदार है, किसी विशेष भत्ते का नहीं और यह भी कहा कि न केवल प्रतिवादी बल्कि 19.01.2006 से 13.01.2013 तक अन्य बलों से लिए गए एनडीआरएफ के सभी अन्य कर्मी भी पात्र थे। प्रतिनियुक्ति भत्ते के हकदार - अपील पर, आयोजित: तत्काल मामले में, प्रतिवादी 11.09.2009 तक अपने मूल संगठन यानी सीआईएसएफ के नियंत्रण में रहा और उसे उक्त प्राधिकारी से अपना वेतन और भत्ता भी मिल रहा था - इसलिए, भले ही वह सेवा कर रहा हो। एनडीआरएफ, यह नहीं कहा जा सकता कि वह एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर थे - प्रतिनियुक्ति शब्द का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि कर्मचारी की सेवाएं किसी अन्य विभाग /संवर्ग/संगठन में स्थानांतरित कर दी गई हैं और कर्मचारी पर नियंत्रण अब स्थानांतरित विभाग/संवर्ग/संगठन के पास है -

हालाँकि ,11.09.2009 को, वह तारीख जब गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से ली गई बटालियनों की कमान और नियंत्रण महानिदेशक, एनडीआरएफ को सौंपी थी और उक्त तारीख से ये

कर्मी एनडीआरएफ से अपना वेतन प्राप्त करेंगे। एनडीआरएफ के साथ प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है - इसलिए, प्रतिवादी को 11.09.2009 से 07.10.2011 तक प्रतिनियुक्ति भत्ता का भुगतान करने का निर्देश दिया गया जब उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया - इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में अपने क्षेत्राधिकार को पार कर लिया - सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस राज्य के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तक सीमित है जिसका वह उच्च न्यायालय है - उच्च न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करना तब उचित हो सकता है जब यह केवल उसके राज्य के कर्मचारियों को प्रभावित करता हो , लेकिन वह उन कर्मचारियों के मामले में ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता था जहां अखिल भारतीय प्रभाव शामिल थे। न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

प्रतिपादित किया गया: 1. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, 11.09.2009 तक प्रतिवादी अपने मूल संगठन यानी सीआईएसएफ के नियंत्रण में रहा और उक्त प्राधिकरण से अपना वेतन और भत्ते भी प्राप्त कर रहा था। इसलिए, भले ही वह अपनी बटालियन के सदस्य के रूप में एनडीआरएफ की सेवा कर रहे हों, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनका संगठन अपनी कुछ बटालियनों को एनडीआरएफ के साथ तैनात करने पर सहमत हुआ था। हालाँकि, ऐसे कर्मचारियों पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण सीआईएसएफ के पास ही रहा। परिलब्धियों का भुगतान भी सीआईएसएफ द्वारा किया गया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एनडीआरएफ प्रतिवादी का नियोक्ता या स्वामी था। ऐसी परिस्थितियों में, 10.09.2009 तक प्रतिवादी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं कहा जा सकता, भले ही नियमों के अनुसार उसे प्रतिनियुक्तिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया हो। इस शब्द का उपयोग बहुत शिथिलता से किया गया है , लेकिन प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि कर्मचारी की सेवाएँ किसी अन्य विभाग/संवर्ग/संगठन में स्थानांतरित कर दी गई हैं और कर्मचारी पर नियंत्रण अब स्थानांतरित विभाग/संवर्ग/संगठन के पास है। हालाँकि, 11.09.2009 को, वह तारीख जब गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से ली गई बटालियनों की कमान और नियंत्रण महानिदेशक, एनडीआरएफ को सौंपी थी और किस तारीख से इन कर्मियों ने एनडीआरएफ से अपना वेतन प्राप्त किया था। एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। [पैरा 16][154-डी-एच] सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 4 एस.सी.आर.

2. इस न्यायालय का यह भी मानना है कि उच्च न्यायालय ने इस तरह के मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल उन राज्यों पर करता है जिनका वह उच्च न्यायालय है। इसका देश के बाकी हिस्सों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वर्तमान जैसे मामले देश के विभिन्न हिस्सों में लंबित हो सकते हैं। वर्तमान मामले में, मामले का निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था , लेकिन कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने अलग दृष्टिकोण अपनाया भी हो सकता है और नहीं भी। मद्रास उच्च न्यायालय ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता था। इसने वस्तुतः देश के अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया है। यह सच है कि कभी-कभी इस न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी समान

स्थिति वाले कर्मचारियों को समान राहत दी जा सकती है लेकिन उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का लाभ नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह न्यायालय पूरे देश पर क्षेत्राधिकार रखता है जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन राज्यों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तक सीमित है जिनका यह उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करना उचित हो सकता है जब यह केवल उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य के कर्मचारियों को प्रभावित करता है, लेकिन, इस न्यायालय की राय में, वह कर्मचारियों के मामले में ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता था, जहां अखिल भारतीय प्रभाव पड़ता। [पैरा 18][155-सी-एफ]

उमापति चौधरी बनाम बिहार राज्य (1999) 4 एससीसी

659 : [1999] 3 एससीआर 752; प्रसार भारती बनाम अमरजीत

सिंह (2007) 9 एससीसी 539 : [2007] 2 एससीआर 160 -

पर निर्भर।

बृज भूषण बनाम भारत संघ (रिट याचिका (सी)

2012 की संख्या 2532) - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

[1999] 3 एससीआर 752 पैरा 14 पर निर्भर था [2007] 2 एससीआर 160 पैरा 14 पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2229 सन् 2020

डब्ल्यूए नंबर 1645/2016 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 21.02.2017 से।

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, साहिल मोंगा और बी. वी. बलराम दास, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के लिए. भारत संघ एवं राज्य बनाम आर. त्यागराजन

धीरेन्द्र क्र. मिश्रा, पी.बी. रेड्डी, पटनम शायला, श्रीमती सरला चंद्रा, सुश्री सांत्वना और बी.वाई. कुलकर्णी, सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. प्रतिवादी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में कार्यरत है। वह वर्ष 1999 में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए थे।

3. अपीलकर्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'अधिनियम') अधिनियमित किया और इसे 26.12.2005 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम की धारा 44 में प्रावधान है कि खतरनाक आपदा स्थितियों या आपदाओं के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) का गठन किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने 19.01.2006 को एनडीआरएफ के गठन को मंजूरी दी। आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) नियम, 2008 (संक्षेप में 'नियम') अधिनियम की धारा 75 के तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए थे और 13.02.2008 को अधिसूचित किए गए थे। वास्तव में, नियम 11.09.2009 से लागू किए गए थे।

4. एनडीआरएफ का गठन शुरू में केंद्रीय पुलिस बलों, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रेलवे पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से बटालियन बनाकर किया गया था। संपूर्ण बटालियनों को महानिदेशक , एनडीआरएफ के पास भेजा गया। नियमों के लागू होने से पहले यानी 11.09.2009 को, विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से संबंधित कर्मी अपने संबंधित पुलिस बलों के नियंत्रण और कमान में बने रहे। उन्हें अपने मूल संगठन से वेतन और भत्ते भी मिलते रहे। 11.09.2009 को नियम लागू होने के बाद, एनडीआरएफ को भेजे गए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बटालियनों को एनडीआरएफ बटालियन के रूप में फिर से नामित किया गया और उनका नियंत्रण उस तिथि से एनडीआरएफ के पास निहित हो गया। उन्होंने 11.09.2009 से एनडीआरएफ से अपना वेतन और भत्ते भी प्राप्त किए।

5. 13.01.2010 को महानिदेशक, एनडीआरएफ द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें प्रावधान किया गया था कि बल को एक अलग पहचान देने के लिए एनडीआरएफ की बटालियनों का नाम बदल दिया गया है और एनडीआरएफ में फिर से क्रमांकित किया गया है। प्रतिवादी का कार्यकाल, जिसे 18.04.2008 को एनडीआरएफ में भेजा गया था, 07.10.2011 को समाप्त हो गया जब उसे एनडीआरएफ में अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया और सीआईएसएफ में वापस भेज दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 4 एस.सी.आर. प्रस्तुत की। उन्होंने महानिदेशक, एनडीआरएफ को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि उन्हें 18.04.2008 से 10% प्रतिनियुक्ति भत्ता और 25% विशेष भत्ता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 4 एस.सी.आर.
दिनांक 23.07.2011 को संचार के माध्यम से प्रतिवादी को सूचित किया गया कि प्रतिनियुक्ति भत्ता देने के लिए उसका मामला गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया था। 31.07.2011 को, प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की जिसमें प्रार्थना की गई कि रिट याचिका में प्रतिवादी यानी भारत संघ, महानिदेशक, एनडीआरएफ और महानिदेशक, सीआईएसएफ को उसके आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए। अभ्यावेदन दिनांक 20.07.2011.

6. रिट याचिका में अपीलकर्ता और अन्य उत्तरदाताओं ने रिट याचिका का विरोध किया और दावा किया कि रिट याचिकाकर्ता किसी भी प्रतिनियुक्ति भत्ता देने का हकदार नहीं है। इस बीच , 14.01.2013 को गृह मंत्रालय ने एक पत्र भेजा कि सक्षम प्राधिकारी इस बात पर सहमत हुए हैं कि एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता 5% की दर से दिया जाएगा। स्टेशन पर और यदि कुछ शर्तों के अधीन स्टेशन के बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है तो 10% की दर से। इस पत्र के आधार पर , महानिदेशक, एनडीआरएफ ने उपरोक्त तर्ज पर 18.02.2013 को एक आदेश जारी किया। हालाँकि, प्रतिनियुक्ति भत्ता 14.01.2013 से देय किया गया था। इसे भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 25.03.2014 में भी स्पष्ट किया था।

7. इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका (सी) संख्या 2532, बृज भूषण बनाम भारत संघ में दिनांक 11.08.2015 के फैसले के तहत, जो एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्त सीआईएसएफ के एक अन्य कर्मचारी का मामला था। 24.07.2008 से प्रभावी, यह माना गया कि याचिकाकर्ता एनडीआरएफ के साथ सेवा में रहने की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति भत्ते का हकदार होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय नियमों के उप-नियम 3(1) और 3(2) की व्याख्या पर आधारित था जो इस प्रकार हैं:

"3. बल का गठन:

(1) गृह मंत्रालय में केंद्र सरकार द्वारा आदेश संख्या 1/15/20002 डीएम/एनडीएम III(ए), दिनांक 19 जनवरी, 2006 के तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रतिनियुक्त माना जाएगा। इन नियमों के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में। "(2) केंद्र सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, जब भी आवश्यक हो, आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में कौशल , क्षमताओं वाले इतनी संख्या में कर्मियों को तैनात कर सकती है। और आपदा से निपटने और उनके प्रबंधन की योग्यताएं और अनुभव और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य तकनीकी योग्यताएं।

बशर्ते कि आवश्यक तकनीकी योग्यता और अनुभव वाले कर्मियों की अनुपलब्धता के मामले में, केंद्र सरकार ऐसे कर्मियों को अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त कर सकती है।

8. दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि रिट याचिकाकर्ता को नियमों के उपनियम 3(1) और 3(2) और ओएम संख्या 6/8/2009 एस्टी.(वेतन II) दिनांक 17.06 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर माना गया था। 2010, जो इस प्रकार है:

"(ई) सेवा की अत्यावश्यकताओं में डीम्ड प्रतिनियुक्ति या बाह्य कैडर पदों पर स्थानांतरण की प्रकृति की नियुक्तियां इस विशिष्ट शर्त के साथ की जाती हैं कि कोई प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा - उदाहरण के लिए (i) सरकार के रूपांतरण की स्थिति में अंतरिम व्यवस्था कार्यालय /संगठन या उसका एक हिस्सा पीएसयू/स्वायत्त निकाय में या इसके विपरीत, और (ii) दूसरे कैडर में उसी पद पर नियुक्तियाँ।"
उपरोक्त ओएम पर भरोसा करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि एनडीआरएफ में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को एनडीआरएफ में शामिल होने की तारीख से प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा। फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका को मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना ही खारिज कर दिया गया।

9. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऊपर उल्लिखित बृज भूषण (सुप्रा) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दे दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने न केवल प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया बल्कि प्रतिवादी को विशेष भत्ता भी दिया।

10. उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर, भारत संघ द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने आंशिक रूप से भारत संघ की अपील को स्वीकार कर लिया और माना कि प्रतिवादी केवल प्रतिनियुक्ति भत्ते का हकदार था, किसी विशेष भत्ते का नहीं। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि न केवल प्रतिवादी बल्कि 19.01.2006 से 13.01.2013 तक अन्य बलों से लिए गए एनडीआरएफ के सभी अन्य कर्मी प्रतिनियुक्ति भत्ते का भुगतान करने के हकदार होंगे और केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया था कि सुनिश्चित करें कि इस राशि का भुगतान अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर किया गया है। यह फैसला हमारे सामने चुनौती के अधीन है।' सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 4 एस.सी.आर.

11. यह उल्लेख करना उचित है कि प्रवेश के समय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.01.2007 पर रोक लगा दी गई थी।

12. हमने राज्य के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान, प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील श्री धीरेंद्र कुमार मिश्रा और हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए विद्वान वकील सुश्री सांत्वना को सुना है। इस स्तर पर, हम बता सकते हैं कि हस्तक्षेपकर्ता एनडीआरएफ के सदस्य हैं और उन्होंने प्रतिवादी की तरह प्रतिनियुक्ति भत्ते का दावा करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है। उनके मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि

वर्तमान मामले में इस न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा की जाए क्योंकि इसका हस्तक्षेपकर्ताओं के मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, हमने हस्तक्षेपकर्ताओं के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

13. अपीलकर्ता की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि ओ .एम. प्रतिनियुक्ति भत्ता देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भत्ता 14.01.2013 से भुगतान किया जाना है जिसमें न्यायालय बल के गठन की तिथि 19.01.2006 से उक्त भत्ते का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता था। विकल्प में, यह प्रस्तुत किया गया है कि एनडीआरएफ में भेजे गए विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को कम से कम 13.01.2010 तक प्रतिनियुक्ति पर नहीं कहा जा सकता है जब एनडीआरएफ ने अपनी बटालियन का गठन किया था। सुश्री माधवी दीवान ने आग्रह किया है कि एनडीआरएफ में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से केवल एक ही कर्मी को नहीं बल्कि पूरी बटालियनों में प्रतिनियुक्त किया गया था। ये बटालियनें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहीं, जिनसे वे संबंधित थीं और प्रतिनियुक्ति की बुनियादी आवश्यकता जिसके मास्टर को बदलना चाहिए, वह नहीं हुई। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने बृज भूषण मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क और विभिन्न संचारों पर भरोसा किया और यह प्रस्तुत किया गया है कि नियम 3 (1) के संदर्भ में एनडीआरएफ के गठन का अधिकार है। नियमों के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्त माना जाएगा। नियम 3(2) में ऐसे कर्मचारियों की एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति का भी प्रावधान है। भारतीय संघ एवं राज्य बनाम आर. त्यागराजन

[दीपक गुप्ता, न्यामूर्ति।]

14. प्रतिनियुक्ति क्या है, इसे उमापति चौधरी बनाम बिहार राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले में बहुत संक्षेप में समझाया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा था:

"8. प्रतिनियुक्ति को उपयुक्त रूप से एक विभाग या कैडर या यहां तक कि एक संगठन (आमतौर पर मूल विभाग या ऋण देने वाले प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) के एक कर्मचारी (आमतौर पर प्रतिनियुक्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है) के किसी अन्य विभाग या कैडर या संगठन (आमतौर पर संदर्भित) के असाइनमेंट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उधार लेने वाले प्राधिकारी के रूप में)। सार्वजनिक सेवा की अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने की आवश्यकता जनहित में उत्पन्न होती है। प्रतिनियुक्ति की अवधारणा सहमतिपूर्ण है और इसमें अपने कर्मचारी की सेवाओं को उधार देने के लिए नियोक्ता का

स्वैच्छिक निर्णय और उधार लेने वाले नियोक्ता द्वारा ऐसी सेवाओं की स्वीकृति शामिल है। इसमें कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति पर जाने या न जाने की सहमति भी शामिल है। मौजूदा मामले में सभी तीन शर्तें पूरी की गईं ..." प्रसार भारती बनाम अमरजीत सिंह 2 में इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

“73. "स्थानांतरण" और "प्रतिनियुक्ति" के बीच अंतर मौजूद है। "प्रतिनियुक्ति" का अर्थ कैडर के बाहर या मूल विभाग के बाहर की सेवा है जिसमें एक कर्मचारी सेवा कर रहा है। हालाँकि , "स्थानांतरण" एक ही कैडर और एक ही विभाग में समकक्ष पद तक सीमित है। जबकि प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी घटना होगी , स्थानांतरण विपरीत होने के कारण विपरीत संकेत प्रदर्शित करेगा। XXX XXX XXX

17. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 12 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यों को निगम ने अपने हाथ में ले लिया है , जब निगम ने नियत दिन से कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके मामलों के प्रबंधन के लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा वह मौजूदा स्टाफ के साथ कर रहा है। उन्हें निगम द्वारा वेतन या अन्य पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। वे इसके अधिकारियों द्वारा प्रभावी नियंत्रण के अधीन हैं। इसलिए , उत्तरदाता, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, निगम के नियंत्रण में हैं।

XXX XXX XXX

1(1999) 4 एससीसी 659

(2007) 9 एससीसी 539

सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2020] 4 एस.सी.आर.

20. नियंत्रण की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि नियंत्रण अधिकारी को अपने अधीनस्थों के मामलों पर हावी होने की स्थिति में होना चाहिए। जब तक इसे अन्यथा परिभाषित न किया जाए, यह निर्देश देने, प्रतिबंधित करने या विनियमित करने के लिए अधीक्षण , प्रबंधन या प्राधिकरण का पर्याय होगा। इसका प्रयोग एक वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अपनी पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। यह एक प्रभावी नियंत्रण की तरह हो सकता है , जो या तो वास्तविक या दूरस्थ हो सकता है...।”

15. उपरोक्त निर्णय को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिनियुक्ति जनहित में एक विभाग/संवर्ग/संगठन के एक कर्मचारी को दूसरे विभाग/संवर्ग/संगठन में सौंपने की परिकल्पना करती है। यह भी स्पष्ट है कि सामान्यतः प्रतिनियुक्ति में कर्मचारी की सहमति भी शामिल होती है। प्रसार भारती मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय ने यह भी माना कि प्रतिनियुक्ति के मामले में सेवाओं के हस्तांतरण पर, कर्मचारी के संबंध में नियंत्रण यह भी निर्धारित करेगा कि ऐसा कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर था या नहीं।

16. जहां तक वर्तमान मामले का सवाल है, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, 11.09.2009 तक प्रतिवादी अपने मूल संगठन यानी सीआईएसएफ के नियंत्रण में रहा और उक्त प्राधिकारी से अपना वेतन और भत्ते भी प्राप्त कर रहा था। इसलिए, भले ही वह अपनी बटालियन के सदस्य के रूप में एनडीआरएफ की सेवा कर रहे हों, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि वह एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनका संगठन अपनी कुछ बटालियनों को एनडीआरएफ के साथ तैनात करने पर सहमत हुआ था। हालाँकि, ऐसे कर्मचारियों पर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण CISF के पास ही रहा। परिलब्धियों का भुगतान भी सीआईएसएफ द्वारा किया गया था और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एनडीआरएफ प्रतिवादी का नियोक्ता या स्वामी था। ऐसी परिस्थितियों में, 10.09.2009 तक प्रतिवादी को प्रतिनियुक्ति पर नहीं कहा जा सकता, भले ही नियमों के अनुसार उसे प्रतिनियुक्तिकर्ता के रूप में वर्णित किया गया हो। इस शब्द का उपयोग बहुत शिथिलता से किया गया है, लेकिन प्रतिनियुक्ति भत्ते के भुगतान के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि कर्मचारी की सेवाएँ किसी अन्य विभाग/संवर्ग/संगठन में स्थानांतरित कर दी गई हैं और कर्मचारी पर नियंत्रण अब स्थानांतरित विभाग/संवर्ग/संगठन के पास है। हालाँकि, 11.09.2009 को, वह तारीख जब गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से ली गई बटालियनों की कमान और नियंत्रण महानिदेशक, एनडीआरएफ को सौंपी थी और किस तारीख से इन कर्मियों ने एनडीआरएफ से अपना वेतन प्राप्त किया था। एनडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।

भारत संघ एवं राज्य बनाम आर. त्यागराजन [दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति।]

17. सुश्री माधवी दीवान ने यह भी आग्रह किया है कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी क्षेत्राधिकार या प्रार्थना के गलत तरीके से निर्देश दिया कि ऐसी राहत सभी कर्मचारियों को दी जाए और वह भी 2006 से। हम इस प्रस्तुति से सहमत हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, केवल प्रतिवादी ही याचिकाकर्ता था और उसकी प्रार्थना केवल उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए थी। इसके बावजूद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दावा की गई राहत से आगे बढ़कर उसे कुछ भत्तों का लाभ दिया। अपील केवल भारत संघ द्वारा दायर की गई थी। डिविजन बेंच के सामने कोई अन्य व्यक्ति

मौजूद नहीं था. ऐसे मामले में, हमें यह समझ में नहीं आता कि अगर अपील दायर न की गई होती तो भारत संघ को इससे भी बदतर स्थिति में कैसे डाला जा सकता था।

18. हमारा यह भी मानना है कि उच्च न्यायालय ने इस तरह के मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल उन राज्यों पर करता है जिनका वह उच्च न्यायालय है। इसका देश के बाकी हिस्सों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वर्तमान जैसे मामले देश के विभिन्न हिस्सों में लंबित हो सकते हैं। वर्तमान मामले में , मामले का निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने अलग दृष्टिकोण अपनाया भी हो सकता है और नहीं भी। मद्रास उच्च न्यायालय ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता था। इसने वस्तुतः देश के अन्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया है। यह सच है कि कभी-कभी इस न्यायालय ने आदेश दिया है कि सभी समान स्थिति वाले कर्मचारियों को समान राहत दी जा सकती है लेकिन उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का लाभ नहीं है। किसी भी स्थिति में, यह न्यायालय पूरे देश पर क्षेत्राधिकार रखता है जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन राज्यों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार तक सीमित है जिनका यह उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित करना उचित हो सकता है जब यह केवल उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य के कर्मचारियों को प्रभावित करता है , लेकिन, हमारी राय में, वह उन कर्मचारियों के मामले में ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता था जहां अखिल भारतीय नतीजे शामिल होंगे। .

19. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी को सेवा से मुक्त होने पर 11.09.2009 से 07.10.2011 तक प्रतिनियुक्ति भत्ता का भुगतान किया जाएगा। जहां तक हस्तक्षेपकर्ताओं का सवाल है, दिल्ली उच्च न्यायालय अब ऊपर दिए गए कानून के मद्देनजर उनकी रिट याचिका का निपटारा कर सकता है। यदि कोई लंबित आवेदन (आवेदन) हैं तो उनका तदनुसार निपटारा कर दिया जाएगा। अंकित ज्ञान की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

Digitally signed by Abhinav Srivastava
Date: 2023.11.06 15:00:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court